राजस्थान सरकार निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6) 2008 / अलेसे- 111 /

दिनांक :- $16\frac{4}{2013}$

आदेश संख्या 25/ 2013-14

निम्नांकित किनष्ठ लेखाकारों, जो वर्तमान में उनके नाम के आगे अंकित विभाग / कार्यालय में अखाई किनष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यरत है और जिन्होंने अभी किनष्ठ लेखाकार का आधार भूत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, को आदेश दिये जाते है कि वे संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, के0आर0 20, सिविल लाइन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा पर दिनांक 13.05.2013 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थित देवें। प्रशिक्षण अविध 13 सप्ताह की होगी तथा इस अविध में उनके वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा।

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	पदस्थापन कार्यालय का नाम	
1	2	3	4	
1.	79/	समुन्द्र सिंह गीना	उपकोषालय, राजाखेडा (धौलपुर)	
2.	23/	भवानी सिंह शेखावत	कोषालय, राजसमन्द	
3.	26	अनुराग शर्मा	जिला चिकित्सालय, वित्तौडगढ	
4.	29	सुभाष शर्मा	जिला परिषद (नरेगा) , जैसलमेर	
5.	33	विजय कुमार गुप्ता	परियोजना निदेशक, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, वांरावाडा	
6.	39	विनोद कुमार पालीवाल	कोषालय, चित्तौडगढ	
7.	55	प्रशान्त गौतम	कोषालय, चित्तौडगढ	
8.	57	संजीव कुमार सचदेव	कोषालय, सिरोही	
9.	61	संजीव कुमार	कोषालय, डूंगरपुर	
10.	65	पुनीत कल्ला	कोषालय, जैसलमेर	
11.	78	रामनिवास देवरवाड	पंचायत समिति, ड्रंगरपुर	
12.	79	नरसीराम	उपकोषालय, खेरवाडा (उदयपुर)	
13.	80	बनवारी लाल मीना	उपकोषालय, गोगुन्दा (उदयपुर)	
14.	81	मनोहर लाल मीणा	कोषालय, राजसमन्द	
15.	93	प्रीतम कुमार	कोषालय, डूंगरपुर	
16.	41	सचिन कुमार शर्मा	कोषालय, बांरा	
17.	53	धनश्याम शर्मा	सर्वशिक्षा अभियान, चित्तौडगढ	
18.	66	राजेश चन्द्र भीमवाल	कोषालय, सिरोही	
19.	92	विशाल लोठ	कोषालय, उदयपुर	

उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकारों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32 {2} के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है । अतः कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें किसी कनिष्ठ लेखाकार को प्रशिक्षण से मुक्त रखनः संभव नहीं होगा ।

यदि कोई कनिष्ठ लेखाकार प्रशिक्षण अविध में या प्रशिक्षण अविध की समाप्ति के दो वर्ष की अविध में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अविध में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन एवं भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना होगा । प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही वे निर्धारित प्रपत्र में वाण्ड भरकर

पाठय्क्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे । उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है अतः प्रशिक्षणार्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी ।

प्रशिक्षण की समाप्ति पर उपरोक्त सभी किनष्ठ लेखाकार दर्शीये गये कॉलम संख्या 4 में अंकित पूर पदस्थापित विभाग में उपस्थिति देगें ।

निदेशक

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6)2008/अलेसे-111/ 25 34- 9568 दिनांव

दिनांक :-16 <u>५</u>

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-1. निदेशक, ह०च०मा०राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।

2. प्रभारी अधिकारी, (योजना) ह०च०मा०स० राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर ।

3. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, के0आर0 20, सिविल लाइन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा को आदेश की अतिरिक्त प्रति एवं संलग्न बाण्ड फार्म प्रेषित कर निवेदन है कि बाण्ड फार्म किनेष्ट लेखाकारों से पूर्ति करवाकर इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त किनेष्ठ लेखाकारों की प्रशिक्षण की समाप्ति पर कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर सूचित करेगें

	विभागाध्यक्ष /	/ काय	लध्याक्ष
-	19111110191	4/19	1 1 -1141.

6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।7. उपनिदेशक (एसीपी)कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु) ।

रिक्षत / निजी पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक—II)

This bond is made on the date of 2013 by So	of Shri					
resident of appointed to the	post of					
ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT (hereinafter called the trainee) of the First	t Part and					
Son of Shri resident of (First St	rety); and					
Son of Shri resident of (Second	ond surety)					
hereinafter called collectively the sureties of the second part in favour of the Governor of the	he State of					
Rajasthan (hereinafter called the Government).						
Whereas the Governor has solected the trainee for appointment to the	post of					
ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT.						
And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent						
charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of						
weeks.						
And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on						
hereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for	r the due					
performance by the trainee of the said terms.	2002					
And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the tra	nee of the					
said terms in the manner hereinafter after appearing.						
Non-4hindon J. A C. III.	0					
Now this deed witnesses as follows:-						
(1) In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursurance of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of Two year after the completion of such training, he shall not resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment other than post for which he has been so selected. (2) For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the sureties agree that if, during the period of training or within a period of Two year after the completion of training, the trainee shall resign or take other employment in contravention of clause (I) above, the trainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the double of the emoluments paid by the Government to the trainee during the period of his training together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid to the trainee by way of traveling and daily allowances under the relevant rules: Provided that the trainee and the Prities shall not be required so to pay the emoluments paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.						
In witness whereof this bond has been signed by the trainee and the sureties the da	y in year					
above written.						
Signed by the Trainee:						
Witness (I)						
Witness (II)						
Signed by the First Surety						
Witness (I)						
Witness (II) Signed by the Second Surety						
Signed by the Second Surety Witness (I) Accepted						
With						
witness (II) D.T.A						

